



लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी, (राजस्व)  
(जिला कलक्टर) चित्तौड़गढ़

प्रकरण संख्या/78/2020 (सू.अ.)  
पंजीयन दिनांक:- 07.09.2020

श्री राजेन्द्र पुरोहित निवासी बून्दी रोड़, चित्तौड़गढ़

बनाम

लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़

प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम-2005

निर्णय

दिनांक 29.09.2020

सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 के तहत अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अपीलार्थी द्वारा लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़ के यहां सूचना चाहने हेतु एक आवेदन दिनांक 18.08.2020 को प्रस्तुत किया। प्रस्तुत आवेदन पर 30 दिवस की अवधि में भी अपीलार्थी को उसके द्वारा वांछित सूचना उपलब्ध नहीं कराने से अपीलार्थी द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गई।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर इस न्यायालय के पत्रांक प्र.सं. सूचना का अधिकार 78/2020/(29.09)/577 दिनांक 07.09.2020 से लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़ को दिनांक 29.09.2020 से पूर्व कमेंट्स प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित करते हुए, अपीलार्थी को भी समसंख्यक पत्रांक (रजिस्टर्ड) से नियत दिनांक 29.09.2020 को अपना पक्ष रखने हेतु उपस्थित होने के लिये लिखा गया।

अपीलार्थी ने स्वयं उपस्थित होकर मौखिक रूप से अपना पक्ष रखा कि उसे लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़ ने आदिनांक तक उसके द्वारा वांछित सूचना उपलब्ध नहीं कराई है अतः वांछित सूचना निःशुल्क उपलब्ध कराने का आदेश प्रदान करावें।



लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी  
(जिला कलक्टर)  
चित्तौड़गढ़ (राज.)





|   |
|---|
| प्रकरण संख्या 78/2020 (सू.अ.)<br>श्री राजेन्द्र पुरोहित निवासी बून्दी रोड़, चित्तौड़गढ़ बनाम लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन),<br>चित्तौड़गढ़ |
|---|

लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन) चित्तौड़गढ़ ने अपने पत्र क्रमांक/एडीएम/पीए/लोसूअ/2020/341 दिनांक 14.09.2020 से कमेंट्स प्रेषित किये जो इस प्रकार हैं:-

1. यह कि प्रार्थी श्री राजेन्द्र पुरोहित निवासी बून्दी रोड़, चित्तौड़गढ़ द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत आवेदन पत्र दिनांक 18.08.2020 को प्रस्तुत किया जो दिनांक 20.08.2020 को प्राप्त होना सही है।
2. यह कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र से चाही जा रही सूचना के समस्त तथ्य प्रश्नात्मक होने से सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत सूचना उपलब्ध कराना अपेक्षित नहीं है।
3. यह कि प्रार्थी को सूचना के संबंध में इस कार्यालय के पत्रांक/एडीएम/पीए/लोसूअ/2020/2556 दिनांक 25.08.2020 से अवगत कराया गया कि सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के परिपत्र क्रमांक/प-3(22)प्रसू/सूअसप्र/06 दिनांक 02.02.2009 के तहत व्यवस्था प्रदान की गई है कि सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत लोक प्राधिकारी द्वारा सूचना सृजित करना या सूचना की व्याख्या करना या आवेदक द्वारा उठाई गई समस्याओं का समाधान करना या काल्पनिक प्रश्नों का उत्तर देना अपेक्षित नहीं है। (पत्र की छायाप्रति संलग्न है।)
4. यह कि प्रार्थी को प्रार्थना पत्र के संबंध में अवगत कराये जाने से अब इस प्रकरण पर किसी प्रकार की कार्यवाही की आवश्यकता नहीं रहती है। अतः अपील पर जवाब स्वीकार कर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील निरस्त योग्य होने से अपील को निरस्त कराने का श्रम करावें।



हमने अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील तथा लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन) चित्तौड़गढ़ द्वारा अपने पत्रांक/एडीएम/पीए/लोसूअ/2020/341 दिनांक 14.09.2020 से प्रेषित कमेंट्स तथा उसके संलग्न अनुलग्नक का अवलोकन कर उस पर मनन किया। चूंकि प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग (सूचना का अधिकार



नाम: श्री राजेन्द्र पुरोहित  
पता: बून्दी रोड़, चित्तौड़गढ़

|  |
|--|
| प्रकरण संख्या 78/2020 (सू.अ.)<br>श्री राजेन्द्र पुरोहित निवासी बून्दी रोड, चित्तौड़गढ़ बनाम लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन),<br>चित्तौड़गढ़ |
|--|

प्रकोष्ठ) के परिपत्र क्रमांक/प.3(22)प्रसु/सू.अ.प्र./06 दिनांक 02.02.2009 अनुसार "सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत लोक प्राधिकारी द्वारा सूचना सृजित करना या सूचना की व्याख्या करना या आवेदक द्वारा उठाई गई समस्याओं का समाधान करना या काल्पनिक प्रश्नों का उत्तर देना अपेक्षित नहीं है। अधिनियम के अन्तर्गत केवल ऐसी सूचना प्राप्त की जा सकती है जो लोक प्राधिकारी के पास पहले से मौजूद है।" जिससे अपीलार्थी को, लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन) चित्तौड़गढ़ ने अपने पत्रांक/एडीएम/पीए/लोसूअ/2020/2556 दिनांक 25.08.2020 से सूचित किया जा चुका है।

चूंकि अपीलार्थी को उसके द्वारा वांछित सूचना के संबंध में लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन) चित्तौड़गढ़ द्वारा जरिये पत्रांक/एडीएम/पीए/लोसूअ/2020/2556 दिनांक 25.08.2020 से सूचित किया जा चुका है जिससे अब इस प्रकरण में कोई कार्यवाही शेष नहीं रहती है। अतः अपील अपीलार्थी सारहीन होने से खारीज की जाती है।



क्र. /सरिश्ता / प्र.सं. / 78 / 2020(सू.अ.) / 638

लोक सूचना अपीलार्थी प्राधिकारी  
जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ (राज.)  
चित्तौड़गढ़ (राज.)

दिनांक:- 21 / 09 / 2020

प्रतिलिपि:-

1. लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़
2. श्री राजेन्द्र पुरोहित निवासी बून्दी रोड, चित्तौड़गढ़ तहसील व जिला चित्तौड़गढ़



लोक सूचना अपीलार्थी प्राधिकारी  
जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ (राज.)  
चित्तौड़गढ़ (राज.)